UPPG010090822025

Presented on : 09-12-2025
Registered on : 09-12-2025
Decided on : 24-08-2026
Duration : 0 years, 8 months, 15 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–राम लाल–द्वितीय (एच०जे०एस०)
J.O. CODE–UP 6467
दीवानी प्रकीर्ण वाद संख्या–216/2025
जगपत्ती **बनाम** हरखास आम आदि

दिनांक 24.08.2026

1. पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी। प्रार्थी/अपीलार्थी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी/अपीलार्थीगण की ओर से 8ग मय शपथ पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कहा गया कि अपीलार्थी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–06.10.2025 को उक्त आदेश की जानकारी हुई। अपीलार्थी को उक्त आदेश की नकल दिनांक– 18.10. 2025 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी रूपये की व्यवस्था करके दिनांक 18.11.2025 को प्रतापगढ़ आकर के अपील प्रस्तुत किया है। प्रार्थी/अपीलार्थी ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। विलम्ब उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में हुआ है। प्रार्थी धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ पाना का अधिकारी है। प्रार्थी/अपीलार्थी को धारा 5 कानून विलम्ब अधिनियम का लाभ दिए जाने की कृपा की जाए।
2. इसके विपरीत विपक्षी की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आपत्ति करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।
3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 30.08.2025 के विरूद्ध फौजदारी अपील दिनांक 18.11. 2025 को विलम्ब से दाखिल की गयी है। अपीलार्थी को प्रश्नगत आदेश दिनांक– 06.10.2025 की जानकारी अपने अधिवक्ता के माध्यम से हुई। उक्त आदेश की नकल दिनांक 18.10.2025 को प्राप्त की गई। प्रश्नगत मामले को गुणदोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिय उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों में न्यायहित में अपीलार्थी को धारा–5 परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.08.24 17:26:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतीत होता है। जहाँ तक विलम्ब का प्रश्न है विलम्ब की पूर्ति क्षतिपूर्ति के रूप में की जा सकती है। तद्नुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 08ग, धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1. प्रार्थना पत्र 08ग, धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत 500/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। फौजदारी अपील को दाखिल करने में जो विलम्ब हुआ है, धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुये विलम्ब क्षमा किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थी हर्जा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करें या विपक्षी को अदा करें।

2. हर्जा नियत तिथि के पूर्व तक जमा कर हर्जे की रसीद दाखिल करने के उपरान्त फौजदारी अपील अंगीकृत किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2026 को पक्षकार सत्र न्यायालय उपस्थित हों। पत्रावली हर्जा अदायगी उपरान्त सत्र न्यायालय, प्रतापगढ़ के कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित हो। यदि हर्जा दिनांक–23.09.2026 के पूर्व तक जमा नहीं किया जाता है तो अपील मेमो पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तार हो।

दिनांक–24.08.2026

(राम लाल–द्वितीय)

स्टेनोः–सुनील कुमार पटेल–।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)
प्रतापगढ।

जे.ओ.कोड–UP 6467

Dictated on :24.08.2026
Transcribed on :24.08.2026
checked on : 24.08.2026
Signed on :24.08.2026